राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक एफ 26(क)(35)गृह–2/2023 जयपुर, दिनांकः–हस्ताक्षरित दिनांक

<u>स्वीकृति आदेश संख्या 48/2025–26</u>

वित्तीय वर्ष 2025–26 की बजट घोषणा संख्या 268.01.00 की क्रियान्विति हेतु राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में Mobile Forensic Units हेतु निम्नानुसार पदो के सृजन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती हैः–

क्र.सं	पदनाम	34 मोबाईल फोरेन्सिक यूनिट्स हेतु पूर्व मे स्वीकृत पद (01 मोबाईल यूनिट पर 02 कार्मिक)	पूर्व मे स्वीकृत पदो के अतिरिक्त 36 मोबाईल फोरेन्सिक यूनिट्स हेतु (प्रति मोबाईल यूनिट्स पर 02 कार्मिक) नवीन सृजित पद									
			विष	जैविक	सीरम	भौतिक	अस्त्रक्षेप	रसायन	नारकोटिक्स	डी.एन.ए.	फोटो	योग
1	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	14	02	02	02	02	02	01	01	01	0	13
2	वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	20	04	04	04	04	04	01	01	01	0	23
3	कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	14	02	02	02	02	02	0	01	01	01	13
4	प्रयोगशाला सहायक	20	03	03	03	03	02	03	02	02	02	23
	योग	68	11	11	11	11	10	05	05	05	03	72

यह स्वीकृति निम्नांकित शर्तो के अध्यधीन रहेगीः–

1. विभाग राज्य के समस्त 41 जिलों मे दो चरणों मे क्रियाशील की जाने वाली 70 मोबाईल फोरेन्सिक यूनिट के लिए समस्त अनावर्तक व्यय (मोबाईल यूनिट सेटअप राशि रूपयें 350.00 लाख तथा शेष 14 नवीन मोबाईल फोरेन्सिक वाहन राशि रूपयें 910.00 लाख) भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर किया जाना सुनिश्चित करेगा।
2. विभाग आर्वतक व्यय (दूरसंचार, साफ–सफाई, विधुत–पानी एवं संविदा व्यय इत्यादि) के लिए राज्य सरकार से बजट की आवश्यकता होने पर आगामी बीएफसी मे मांग प्रस्तुत कराये जाने अथवा additionality के प्रस्ताव यथा समय भिजवाया जाना सुनिश्चित करेगा।
3. राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला को 70 मोबाईल फोरेन्सिक यूनिट के सुचारू तथा समयबद्व क्रियान्वयन हेतु नवीन सृजित (कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक तथा प्रयोगशाला सहायक) पदों के नियोजन में लगने वाले समय के दृष्टिगत संविदा पर कुल 36 विशेषज्ञ मैनपावर आवश्यकतानुसार अधिकतम राशि रूपयें 35000 प्रति संविदा विशेषज्ञ मैनपावर तक लिये जाने की सहमति प्रदान की जाती है।

RajKaj Ref No.: 16185010

यह स्वीकृति वित्त (व्यय–4) विभाग की आई.डी. संख्या 182500754 दिनांक 25.06.2025 द्वारा प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

संलग्न :– वित्त विभाग की टिप्पणी।

भवदीय,

(राकेश राजोरिया)

संयुक्त शासन सचिव, गृह (पुलिस)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा), राज. जयपुर।
2. निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशला, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक 4945 दिनांक 17.04.2025 के क्रम में।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–4) विभाग राज. जयपुर।
4. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, गृह (पुलिस)

Signature Not Verified

Digitally Signed by Rakesh Rajoria
Designation : Joint Secretary To Government
Date :03-07-2025 04:47:07